रजिस्टर नं० 1
विभाग अ०/उद्योग मत्स्य
फाइल संख्या 2
सन्दर्भ संख्या 2438
तारीख 07/7/99

संलग्नक - 2

(94)

कार्यालय जिलाधिकारी ... 1999 ... बांदा (उ०प्र०)

संख्या-2320/57-म-99-10-5(55)/96

838
12/7/99

प्रेषक,

ललित श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
समस्त अध्यक्ष,
जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग — लखनऊ : दिनांक : 15जून, 1999

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत मत्स्य पालक विकास अभिकरण के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-1774/57-म-99-10-5(55)/96, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1774(2)/57-म-99-10-5(55)/96, एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-1774(4)/57-मत्स्य-99-10-5(55)/96, दिनांक-15मई, 1999 को अवक्रमित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवर्तित व्यवस्था के अन्तर्गत अध्यक्ष, जिला पंचायत जिलाधिकारी के स्थान पर मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अध्यक्ष होंगे तथा वे अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और अभिकरण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु पंचायत व्यवस्था एवं अभिकरण को नेतृत्व प्रदान करेंगे। मत्स्य पालक विकास अभिकरण की अध्यक्षता को छोड़कर समस्त प्रशासनिक/वित्तीय अधिकार अधिशासी निदेशक में निहित होंगे, जो अभिकरणों से सम्बन्धित ऐसे समस्त कार्यों को सम्पादित करेंगे, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी निदेशक के रूप में सम्पादित किया जा रहा था। अब मुख्य विकास अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधिशासी निदेशक होंगे। सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य, अभिकरण के उपाध्यक्ष(तकनीकी) होंगे तथा सहायक निदेशक मत्स्य/ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक(जैसी भी स्थिति हो)अभिकरण के सदस्य सचिव होंगे।

उप निदेशक मत्स्य

जिलाधिकारी बांदा

HC

Anil 9.7.99 ADP/B

2- उपर्युक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु समस्त अभिकरण अपने आर्टिकिल आफ एसोसियेशन और मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन में यथा, आवश्यक संशोधन करेंगे।

भवदीय,

(ललित श्रीवास्तव)
सचिव।

क्रमशः----(2)